राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
160/2025	22.12.2025	07.04.2026

बउनवान

1. रामअवतार पुत्र प्रभू, निवासी वीरासना, तहसील मण्डावर, दौसा।

..वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..असल प्रतिवादी

2. उर्मिला पुत्री रंगलाल, निवासी वीरासना, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. कल्पना पुत्री हरीराम, निवासी वीरासना, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. केशन्ती पुत्री रंगलाल, निवासी वीरासना, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. गीता पुत्री रंगलाल, निवासी वीरासना, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. दिलीप कुमार पुत्र हरीराम, निवासी वीरासना, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. दीपक कुमार पुत्र हरीराम, निवासी वीरासना, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. मुकेश पुत्र रंगलाल, निवासी वीरासना, तहसील मण्डावर, दौसा।
9. रवीना पुत्री रंगलाल, निवासी वीरासना, तहसील मण्डावर, दौसा।
10. राजंती पुत्री रंगलाल, निवासी वीरासना, तहसील मण्डावर, दौसा।
11. रामश्रीलाल पुत्र रंगलाल, निवासी वीरासना, तहसील मण्डावर, दौसा।
12. हरलाल पुत्र चंदर, निवासी वीरासना, तहसील मण्डावर, दौसा।

...तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक वादी – श्री भुवनेश कुमार मीना।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं दुरुस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से दावा अन्तर्गत बाबत घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खसरा सं. 550, 555, 556, 562, 563, 564, 74, कुल किता 7, रकबा 1.22 हैक्टे. ग्राम वीरासना तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात वादी को विरासत से प्राप्त पैतृक आराजी है। वादी के बाबा गुलाब का देहांत खातेदार चन्दर से पूर्व ही हो गया था। खातेदार चन्दर का देहान्त होने पर विवादित आराजीयात का नामांतकरण मृतक गुलाब के वारिस धौली पत्नी स्व. गुलाब व प्रभू पुत्र गुलाब के नाम खोलना चाहिए था, जो नहीं खोला गया। वादी के बाबा गुलाब की मृत्यु के बाद मृतक गुलाब के वारिसान का सजरा निम्नानुसार है:–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

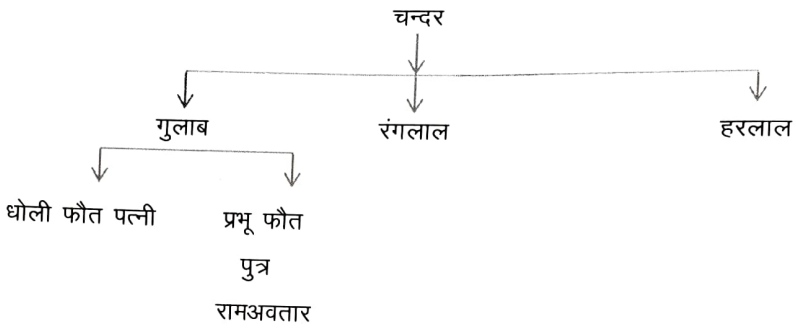

वादी के बाबा चन्दर का देहांत होने पर गुलाब के सम्पूर्ण वारिसान के नाम नामांतरकरण सं. 133 खोल कर गुलाब के बेटा प्रभू के नाम से खोला गया जिसमें धौली बेटा प्रभू के नाम से खोला गया जबकि धौली तो प्रभू की मां है। उक्त नामांतरकरण के आधार पर जमाबंदी अमल कर दिया गया है। इसके पश्चात संवत 2054–59 में उक्त इन्द्राज को धौली बेवा प्रभू के नाम से संशोधित कर दिया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2070–2073 में उक्त प्रविष्ठि को दोहराया गया है। वादी के पिता प्रभू का भी देहांत हो चुका है जिसकी विरासत का नामांतरकरण अभी तक राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं खोला गया है। इसलिये विवादित आराजी में मृतक खातेदार धौली बेवा प्रभू के स्थान पर प्रभू पुत्र गुलाब के नाम की घोषणा करवाना आवश्यक है। इसलिये वादी को यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। मृतक प्रभू के समस्त दस्तावेज वोटर लिस्ट वर्ष 1988 व अन्य जमाबंदियों में सभी जगह प्रभू के पिता का नाम गुलाब दर्ज है लेकिन खातेदार चन्दर का देहान्त होने पर नामांतकरण सं. 133 खोलते समय प्रभू के पिता का नाम गुलाब के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा धौली बेटा प्रभू दर्ज कर दिया गया जो गलत है जबकि पटवारी हल्का को मजमे आम में जॉच कर ही विरासत का नामांतकरण खोलना चाहिये था। उक्त गलत इन्द्राज से वादी को अपने हक व अधिकारों से वंचित होना पड रहा है। दिनांक 14.12.2025 को वादी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत फार्म भरने हेतु अपनी जमाबंदी निकलवाई तो वादी को उक्त गलत इन्द्राज का पता चला। वादी ने तहसीलदार मण्डावर से उक्त गलत इन्द्राज की दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो उन्होंने इंकार कर दिया और न्यायालय द्वारा आदेश आने पर ही दुरूस्ती करने को कहा। यदि वादी की खातेदारी की आराजी बाबत हो रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त नहीं किया गया तो वादी के हक हकूकों से वंचित होना पडेगा। इसलिए वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी सं. 01 राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने एवं लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जिसके विरूद्ध दावा दायरी से पूर्व 60 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन दावा अर्जेण्ट नेचर का होने के कारण धारा 80 जा.दी का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। इसलिये धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। तरतीबी 02 लगायत 12 उक्त खाते में सहखातेदार है जिनसे कोई रिलीफ नहीं चाही गयी है लेकिन सहखातेदार होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। दावा बाबत् घोषणा खातेदारी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि उक्त विवादित आराजीयात में खातेदार धौली पत्नी स्व. प्रभू 1/3 के स्थान पर प्रभू पुत्र स्व. गुलाब निवासी वीरासना को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाते हुए इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियां करने हेतु आदेश प्रदान करें तथा तहसीलदार मण्डावर को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निर्णय/डिक्री की पालना हेतु आदेश प्रदान किये जावे। दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात के गलत इन्द्राज से वादी के उपयोग उपभोग व अन्य कार्य हेतु कोई व्यवधान पैदा नहीं करें।

2. वादी का वाद पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 12 न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद कर दिया गया। तहसीलदार मण्डावर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक भू.अ./2026/326 दिनांक 18.02.2026 प्रस्तुत की कि ग्राम विरासना के खसरा सं. 74, 550, 555, 556, 562, 563 व 564, कुल किता 7, रकबा 1.22 हैक्टे. के खातेदार धोली पत्नी स्व. प्रभू हि. 1/3 जाति मीना वगै. के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त खातेदारी संवत 2045 में चन्दर पुत्र श्योजी के विरासत का नामांतकरण सं. 133 फैसल दिनांक 08.07.1987 से खातेदार के वारिसान धौली बेवा प्रभू जाति मीना हिस्सा 1/3 स्वीकार हुआ। चन्दर के पुत्र गुलाब की मृत्यु पूर्व में हो गई थी लेकिन नामांतकरण प्रभू (फौत) के नाम दर्ज किया गया था। वादी के बाबा चन्दर की फौत होने पर नामा. सं. 133 फैसल दिनांक 08.07.1987 को चन्दर के स्थान पर धौली बेवा प्रभू के नाम अमल हुआ। संवत 2054–57 की चौसाला में उक्त इंद्राज धौली बेवा प्रभू जाति मीना हि 1/3 दर्ज किया गया। संवत 2070–73 में सेग्रीगेसन के समय उक्त इंद्राज को धौली पत्नी स्व. प्रभू जाति मीना हि 1/3 दर्ज कर दिया गया। वादी के पिताजी प्रभू का देहान्त हो गया, इसलिए विरासत का नामांतकरण खुलाना चाहता है। राजस्व रिकॉर्ड में धौली पत्नी स्व. प्रभू जाति मीना हि 1/3 को शुद्ध कर प्रभू पुत्र गुलाब जाति मीना हि. 1/3 वगै. होने के पश्चात विरासत का नामा. किया जाना संभव होगा। ग्राम विरासना के उक्त विवादित आराजीयात में हिस्सा 1/3 पर प्रभू का बेटा रामअवतार पुत्र प्रभू जाति मीना काबिज है।

3. वादी की ओर से स्वयं वादी रामअवतार एवं रामश्रीलाल पुत्र श्री रंगलाल साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसमे वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया गया तथा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2045 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2050 प्रदर्श–2, जमाबंदी संवत 2054–57 प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत 2070–2073 प्रदर्श–4, कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श–5, वोटर लिस्ट सन 1986 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–6, मृत्यु प्रमाण पत्र धौली देवी प्रदर्श–7, हाल जमाबंदी 2070–2073 ग्राम वीरासना प्रदर्श–8 की ।

4. वाद पर विद्वान अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार वाद पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 में प्रावधान है:

88. अधिकार की घोषणा के लिए वाद– *(1) अभिधारी या सहअभिधारी होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति इस घोषणा के लिए कि वह अभिधारी है या ऐसी संयुक्त अभिधृति में अपने हिस्से की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।*

(2) खुदकाश्त अभिधारी इस घोषणा के लिए कि वह ऐसा अभिधारी है, वाद ला सकेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(3) उप–अभिधारी ऐसे व्यक्ति, जिससे वह भूमि धारण करता है, के विरूद्ध घोषणा के लिए कि वह उप–अभिधारी है, वाद ला सकेगा।

(4) राज्य सरकार से भिन्न कोई भूधारक, किसी जोत के अभिधारी या सह–अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप–अभिधारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे व्यक्ति के अधिकारकी घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

5. विवादित आराजीयात की जमाबंदी संवत 2077 (वर्ष 2020 से स्थायी), पूर्व की जमाबंदिया संवत 2050–2069 (भू–प्रबंधन विभाग द्वारा सेटलमेंट के दौरान तैयार), जमाबदी संवत 2054–2057, जमाबंदी संवत 2070–2073 तथा तहसीलदार मण्डावर की तथ्यात्मक रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात में दर्ज प्रविष्ठी धौली पत्नी स्व. प्रभू हिस्सा 1/3 जाति मीना सा.देह खातेदार को दुरस्त किया जाकर प्रभू पुत्र स्व. गुलाब हिस्सा 1/3 जाति मीना दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

6. वादी का वाद पत्र बाबत् घोषणा खातेदारी एवं दुरुस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 डिक्री किया जाता है कि ग्राम वीरासना, पटवार हल्का धौलखेडा, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खाता संख्या नया 31, पुराना 26 के खसरा सं. 550, 555, 556, 562, 563, 564, 74, कुल किता 7, रकबा 1.22 हैक्टे., में दर्ज प्रविष्ठी धौली पत्नी स्व. प्रभू हिस्सा 1/3 जाति मीना सा.देह खातेदार को दुरस्त किया जाकर प्रभू पुत्र स्व. गुलाब हिस्सा 1/3 जाति मीना दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार मण्डावर को दिया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी • मण्डावर (दौसा) •

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 07.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE 1908, APPENDIX "D"-1)

अज अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मुकाम मण्डावर**

इजलास – **अमित कुमार वर्मा, आर.ए.एस.**

अनुवान – **रामअवतार बनाम राज. सरकार वगै.**

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं दुरुस्ती इन्द्राज अन्तर्गत
धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 160/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री भुवनेश कुमार मीना, एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ग्राम वीरासना, पटवार हल्का धौलखेडा, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 550, 555, 556, 562, 563, 564, 74, कुल किता 7, रकबा 1.22 हैक्टे., में दर्ज प्रविष्ठी धौली पत्नी स्व. प्रभू हिस्सा 1/3 जाति मीना सा.देह खातेदार को दुरस्त किया जाकर प्रभू पुत्र स्व. गुलाब हिस्सा 1/3 जाति मीना दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार मण्डावर को दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 07.04.2026 को जारी की गई।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	–	–	स्टाम्प अरजीदावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
गहनताना वकील पर			गहनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुकमनामा.....			बबत इजराय हुकमनामा.....		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी • मण्डावर (दौसा) •

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)